सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 15, मंगलवार, शाके 1944-सितम्बर 06, 2022 *Bhadra 15, Tuesday , Saka 1944- September 06, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2022

जी.एस.आर.70 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (पहला संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये 01.01.2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14 का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 के विद्यमान उप-नियम(2) के अधीन एक अपवाद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

अपवाद- (i) कर्मचारी जिसका वेतन, पद के प्रारम्भिक वेतन लेवल के रूप में या एसीपी के रूप में वेतन लेवल एल-5 या एल-6 में नियत किया गया है, ऐसे मामलों में अगला एसीपी, यदि अनुज्ञेय हो तो, वेतन लेवल एल-8 में होगा।

(ii) कर्मचारी जिसका वेतन, पद के प्रारम्भिक वेतन लेवल के रूप में या एसीपी के रूप में वेतन लेवल एल-8 में नियत किया गया है, ऐसे मामलों में अगला एसीपी, यदि अनुज्ञेय हो तो, वेतन लेवल एल-10 में होगा।

(iii)कर्मचारी जिसका वेतन, पद के प्रारम्भिक वेतन लेवल के रूप में या एसीपी के रूप में वेतन लेवल एल-13 में नियत किया गया है, ऐसे मामलों में अगला एसीपी, यदि अनुज्ञेय हो तो, वेतन लेवल एल-15 में होगा।

3. नियम 15 का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 15 के विद्यमान उप-नियम(2) के अधीन एक अपवाद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः-

अपवाद- कर्मचारी जिसका वेतन, पद के प्रारम्भिक वेतन लेवल के रूप में या एसीपी के रूप में वेतन लेवल एल-13 में नियत किया गया है, ऐसे मामलों में अगला एसीपी, यदि अनुज्ञेय हो तो, वेतन लेवल एल-15 में होगा।

[सं.एफ.15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,
शासन सचिव,
वित्त (बजट)।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
Notification
Jaipur, May 30, 2022

G.S.R.70 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (First Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from 01.01.2016.

2. Amendment of Rule 14.- under the existing Sub-rule (2) of rule 14 of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, an exception shall be inserted namely,.-

Exception- (i) An employee whose pay has been fixed in Pay Level L-5 or L-6 as initial Pay Level of the post or as ACP, in such cases the next ACP, if admissible, shall be in the Pay Level L-8.

(ii) An employee whose pay has been fixed in Pay Level L-8 as initial Pay Level of the post or as ACP, in such cases the next ACP, if admissible, shall be in the Pay Level L-10.

(iii) An employee whose pay has been fixed in Pay Level L-13 as initial Pay Level of the post or as ACP, in such cases the next ACP, if admissible, shall be in the Pay Level L-15.

3. Amendment of Rule 15.- under the existing Sub-rule (2) of rule 15 of Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, an exception shall be inserted namely,.-

Exception- Employees whose pay has been fixed in Pay Level L-13 as initial Pay Level of the post or as ACP, in such cases the next ACP, if admissible, shall be in the Pay Level L-15.

[No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Pt.]
By order of the Governor,

Sudhir Kumar Sharma,
Secretary to the Government,
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.